

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (गम्भीर रोगग्रस्त / विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति-पत्नी यथा लागू की गम्भीर रोगग्रस्ता एवं विकलांगता के अन्तर्गत) उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मृदुला गुप्ता	स०अ०	रा०प्रा०वि० बंगाली कालोनी, नानकमत्ता, सितारगंज	रा०प्रा०वि० नवीन कन्या, काशीपुर
2	श्रीमती हेमलता जोशी	स०अ०	रा०प्रा०वि० इन्द्रा गोंधी, काशीपुर	रा०प्रा०वि० खालसा, काशीपुर
3	श्रीमती रेशम रानी	स०अ०	रा०प्रा०वि० सन्यासियोंवाला, जसपुर	रा०प्रा०वि० खुरपिया भूरागौरी, रुद्रपुर
4	श्रीमती श्वेता मित्तल	स०अ०	रा०प्रा०वि०खुनसरा, सितारगंज	रा०प्रा०वि०जवाहर लाल नेहरू, काशीपुर
5	अंकुर प्रताप बत्सल	स०अ०	रा०प्रा०वि० इटवा, बाजपुर	रा०प्रा०वि० बांसखेड़ा कला, काशीपुर
6	अरविन्द कुमार	स०अ०	रा०प्रा०वि० नईबस्ती गुलरभोज, गदरपुर	रा०प्रा०वि० गुमसानी, बाजपुर
7	दीप्ति आर्या	स०अ०	रा०प्रा०वि० डियोड़ी, सितारगंज	रा०प्रा०वि० सिद्ध गब्यांग, सितारगंज

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

हो/-

(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ०स०- /सेवायें प्रशा०/2263/2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षकों को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे तथा शिक्षकों को तभी कार्यभार ग्रहण कराये जब सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि वह अध्यापन कार्य हेतु स्वस्थ है।

4- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।

5- संबंधित कोषागार को।

6- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या -196

/प्रा0शि0/स्थाना0/

/2019-20

दिनांक 25-06-2019

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उनके आवदेन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (मानसिक रूप से विकसित एवं लावार बच्चों के माता-पिता के अन्तर्गत) उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	सुरेन्द्र सिंह	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० दभौरा मुस्तकम, काशीपुर	रा०प्रा०वि० कुमाऊँ कालोनी, काशीपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

ह०/

(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ०स०- /सेवायें प्रशा०/2257-62/2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षकों को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ती रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- 3- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 4- संबंधित कोषागार को।
- 5- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या -198 / प्रा0शि0/स्थाना0/ /2019-20 दिनांक 25-06-2019

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (गम्भीर रोगग्रस्त / विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति-पत्नी यथा लागू की गम्भीर रोगग्रस्ता एवं विकलांगता के अन्तर्गत) उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	गिरवर सिंह	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० कुदाइयोवाला, जसपुर	रा०प्रा०वि० भरतपुर, जसपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

हो/-

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ०स०- /सेवायें प्रशा०/2269-74/2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।

3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षकों को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे तथा शिक्षकों को तभी कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराये जब सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि वह अध्यापन कार्य हेतु स्वस्थ है।

4- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।

5- संबंधित कोषागार को।

6- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।
25.6.19

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या - 199 / प्रा0शि0/स्थाना0/ /2019-20 दिनांक 25-06-2019

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (गम्भीर रोगग्रस्त /विकलांग कार्यियों द्वारा स्वयं अथवा पति-पत्नी यथा लागू की गम्भीर रोगग्रस्ता एवं विकलांगता के अन्तर्गत)उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	त्रिलोचन सिंह	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 चक्कीमोड़, गदरपुर	रा0उ0प्रा0वि0 नवीन कन्या, काशीपुर
2.	हरिओम शुक्ल	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 सैजना, रूद्रपुर	रा0उ0प्रा0वि0 संजयनगर, रूद्रपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/

(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ0स0- /सेवायें प्रशा0/2275-80 /2019-20 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे तथा शिक्षकों को तभी कार्यभार /कार्यभार ग्रहण कराये जब सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि वह अध्यापन कार्य हेतु स्वस्थ है।
- 4- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 5- संबंधित कोषागार को।
- 6- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

Moh
25.6.19

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

Su

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या -200 / प्रा0शि0 / स्थाना0 / /2019-20 दिनांक 25-06-2019

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के अन्तर्गत) उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	चितरंजन कुमार	स0अ0	रा0प्रा0वि0 नई आबादी हरसान, बाजपुर	रा0प्रा0वि0 गंज, काशीपुर
2.	ऋतु चौहान	स0अ0	रा0प्रा0वि0 ढाडीपुरा, जसपुर	रा0प्रा0वि0 कस्तूरबा गांधी, काशीपुर
3.	सुधादेवी शिवहरे	स0अ0	रा0प्रा0वि0एन0एन0टोपा, बाजपुर	रा0प्रा0वि0रम्पुरा, रूद्रपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/

(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ0स0- /सेवायें प्रशा0/ 2281-86 /2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबन्धित शिक्षकों को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- 4- संबन्धित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 5- संबन्धित कोषागार को।
- 6- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

25.6.19
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 201 / प्रा0शि0 / स्थाना0 / /2019-20 दिनांक 25-06-2019

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के अन्तर्गत) उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	अनोखे लाल	स0अ0	रा0क0उ0प्रा0वि0 तुर्का तिसौर, सितारगंज	रा0क0उ0प्रा0वि0 बरा, रुद्रपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

ह/-

(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ0स0- /सेवायें प्रशा0/ 2287-92 /2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबधित शिक्षकों को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- 4- संबधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 5- संबधित कोषागार को।
- 6- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

24

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 202 / प्रा0शि0 / स्थाना0 / / 2019-20 दिनांक 25-06-2019

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिक के अन्तर्गत) उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	शिक्षक / शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम / विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	दिव्या चौहान	स0अ0	रा0प्रा0वि0 गोविन्दपुर, सितारगंज	रा0प्रा0वि0 धरमपुर, जसपुर
2	नसरीन जहाँ	स0अ0	रा0प्रा0वि0 मुडियाकला बाजपुर	रा0प्रा0वि0 भरतपुर, जसपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/-

(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ0स0- /सेवायें प्रशा0/2293-98 / 2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश सलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे तथा संबंधित विधवा कार्मिकों को तभी कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये जब वे पुनर्विवाह न करने सम्बन्धी शपथ पत्र उपलब्ध कराये।
- 4- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 5- संबंधित कोषागार को।
- 6- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या -203 / प्रा0शि0 / स्थाना0 / /2019-20 दिनांक 25-06-2019

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिक के अन्तर्गत)उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	रीता उपाध्याय	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 जोगीपुरा, बाजपुर	रा0उ0प्रा0वि0 खमरिया, बाजपुर
2	रामगोपाल यादव	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0रम्पुराशाकर, बाजपुर	रा0उ0प्रा0वि0शिवपुरी, बाजपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0

(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ0स0- /सेवायें प्रशा0/2299-2304 /2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे तथा संबंधित विधवा कार्मिकों को तभी कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें जब वे पुर्नविवाह न करने सम्बन्धी शपथ पत्र उपलब्ध करायें।
- 4- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 5- संबंधित कोषागार को।
- 6- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

25.6.19

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या -204 / प्रा0शि0 / स्थाना0 / / 2019-20

दिनांक 25-06-2019

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (मानसिक रूप से विकसित एवं लाचार बच्चों के माता-पिता के अन्तर्गत) उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	हिमेन्द्र सिंह	स०अ०	रा०प्रा०वि० नवीनगर, सितारगंज	रा०प्रा०वि० इस्लामनगर, जसपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

ह०/-

(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ०स०- /सेवायें प्रशा०/2305-10 /2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ती रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- 3- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 4- संबंधित कोषागार को।
- 5- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।
आदेश संख्या 205 /प्रा०शि०/स्थाना०/ /२०१६-२० दिनांक 25-06-2019

अनिवार्य स्थानान्तरण(दुर्गम से सुगम श्रेणी)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम २०१७ की धारा -१६(१) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-६ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	विद्यालय की श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय/विक्रामखण्ड का नाम	विद्यालय की श्रेणी
१	२	३	४	५	६	७
१	रणधीर कुमार	स०अ०	रा०प्रा०वि० कोपा बसन्ता, गदरपुर	दुर्गम	रा०प्रा०वि० गंज (नगर), काशीपुर	सुगम

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ की धारा-२२ में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नालिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (१) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (२) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (३) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (४) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के ०३ दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (५) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई २०१६ का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

ह०/-

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ०स०- /सेवाये प्रशा०/ 2311-16 /२०१६-२० दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- ३- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षकों को आदेश प्राप्त करगते हुए प्राप्ती रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- ३- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- ४- संबंधित कोषागार को।
- ५- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।
25-6-19